

अनुदान संख्या 18 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	213,50,00	181,50,34	- 31,99,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11,32,17
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	32,00,00	24,46,07	- 7,53,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			6,35,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat- Economic Services			
मू.	O.	12996.00	11643.66	9610.12
पु.	R.	- 1352.34		
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services			
मू.	O.	8354.00	8574.17	8540.22
पु.	R.	220.17		

(I) ₹6.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹6.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कारपोरेट कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत ₹3385.88 लाख की बचत (₹12996.00

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Corporate Affairs"- saving of ₹3385.88

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई योजना स्कीम “सरकारी परिसमापकों के कार्य में सुधार और कम्पनियों के परिसमापन के ई-अभिशासन का अनुप्रयोग एवं समापन” लागू न किए जाने, एमसीए21 परियोजना के अंतरण कार्यकलापों के पूरे न होने और विज्ञापन एवं प्रचार, सीमित देयता भागीदारी परियोजना, सरकारी परिसमापक ई-नीलामी परियोजना संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3475” - “संयुक्त स्टॉक कम्पनियों का विनियमन - कम्पनी अधिनियम के अधीन कम्पनी रजिस्ट्रार” के अंतर्गत ₹209.76 लाख की बचत (₹3541.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय मंत्रालय के स्वयं के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹70.52 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “3475” - “अन्य व्यय - गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - ₹371.83 लाख का अधिक व्यय (₹511.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने और हैदराबाद में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹74.15 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

lakhs (against the sanctioned provision of ₹12996.00 lakhs) was due to non- implementation of a new plan scheme “Improving the Functioning of Official Liquidators and Application of e-Governance of Liquidation and Winding up of Companies”, non-completion of transfer activities of MCA21 project and receipt of less claims towards Advertising and Publicity, Limited Liability Partnership Project and Official Liquidator e-Auction Project.

(III) Under Major Head “3475”- “Regulation of Joint Stock Companies – Registrar of Companies under Companies Act” - saving of ₹209.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3541.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, shifting of Registrar of Companies office to the newly constructed Ministry’s own building and economy measures.

(IV) Under one head saving of ₹70.52 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head “3475” – “Other Expenditure – Serious Fraud Investigation Office (SFIO)”– excess of ₹371.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹511.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and setting up of new regional office at Hyderabad.

(II) Under one head excess of ₹74.15 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"	
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services	
मू.	O.	3200.00
पु.	R.	- 635.20

(I) "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "भूमि/भवन की खरीद/कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसरों/रिहायशी आवास का निर्माण" - ₹396.84 लाख की बचत (₹1200.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, गोआ में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए पणजी नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन जारी न किए जाने और सरकारी परिसमापक के कार्यालयों में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित वीडियो कन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए ब्राडबैंड लाइन जारी किए जाने हेतु एनआईसी से बीजक प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान"- ₹357.09 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के शासक मंडल द्वारा पूंजीगत व्यय के अनुमोदन में विलंब होने, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से अनुमान देर से प्राप्त होने और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा अध्ययन रिपोर्ट के पूरा न होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Purchase of Land/Building/Construction Of Office Premises/Residential Accommodation for Staff" - saving of ₹396.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to non-issuance of approval by Panjim Municipal Authority for construction of additional floors in the office of Registrar of Companies, Goa and non-receipt of invoice from NIC for release of broadband line for Video Conferencing System proposed to be installed in the Offices of Official Liquidator.

(B) "Indian Institute of Corporate Affairs (IICA)" - saving of ₹357.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in approval of capital expenditure by the Board of Governors of the Indian Institute of Corporate Affairs, late receipt of estimates from National Building Construction Corporation Limited and non-completion of study report by Indian Institute of Public Administration.